

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)
::आदेश::

Email ID:: dedoapur@gmail.com

क्रमांक/ 17559 /मान्यता-अनुमति/2026-27 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

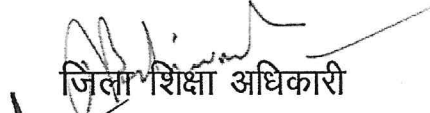
आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2026 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं नोडल प्राचार्य से अनुशंसा एवं कार्यालय स्तर से गठित जांच समिति से परीक्षण उपरांत, विद्यालय का नाम- अदानी विद्या मंदिर साल्ही, विकासखंड-उदयपुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 को दिनांक 01.07.2026 से 30.06.2027 तक के लिए, जो कक्षा नर्सरी से आठवीं तक प्रभावशील रहेगा। अस्थाई (सशर्त) मान्यता प्रदान किया जाता है। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा 8 के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1- 'मानक एवं मानदण्ड') और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 2 - 'आरक्षित सीटों पर दाखिला संबंधी शर्तें') विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस (मैपिंग एरिया) के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25% तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खंड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
 - (iii) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

- (iv) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेशी शिक्षा प्रदान किया जावेगा।
 - (v) शिक्षक की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खंड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित किये जायेंगे।
 - (vi) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप-नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।
 - (vii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
 - (viii) विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
8. विद्यालय कानून के खंड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
 9. विद्यालय कानून के खंड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार हैं— विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल के मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष/बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा/ मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन/बाधारहित पहुंच/ शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
 10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय के बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
 11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
 12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या 1860 (1860 का 21) किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
 13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
 14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
 15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता यूआईए कोड नंबर इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित किया जाए।
 16. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदान करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
 17. विद्यालय प्रबंधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छ0ग0 अशासकीय विद्यालय शुल्क अधिनियम 2020, राष्ट्रीय बैग पॉलिसी 2020, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) 1986, नशामुक्त विद्यालय कार्य योजना 2020 में निहित प्रावधानों का पालन करेगा।

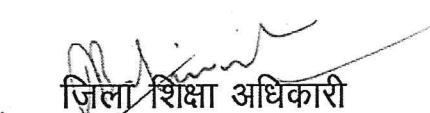
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए।
 19. विद्यालय केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिये संचालित होगा।
 20. विद्यालय आरटीई एक्ट, 2009 के सभी बच्चों से संबंधित, प्रावधानों का पालन करेगा।
 21. सक्षम/नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर विद्यालय सभी अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
 22. विद्यालय समय-समय पर विभाग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट एवं जानकारी उपलब्ध करायेगा।
 23. आरटीई अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों को समान सुविधा पुस्तक, यूनिफॉर्म प्रदान किया जावे।
 24. विद्यालय बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित मापदण्डों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
 25. NCERT/SCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी। इनके अतिरिक्त किताबें सभी पालकों की सहमति से एवं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से चलाई जा सकेंगी।
 26. किसी भी स्थिति में पालकों को किसी दुकान विशेष से किताब, कॉपी, स्टेशनरी एवं यूनिफॉर्म क्रय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा।
 29. विद्यालय परिसर के मुख्य स्थानों जैसे— मुख्य प्रवेश द्वार, निकास द्वार, गलियारे (कॉरिडोर), सीढ़ियां, स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) पार्किंग तथा अन्य सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करें।
 30. यदि विद्यालय में स्कूल बस/वाहन उपलब्ध है तो उनमें सीसीटीवी कैमरा, VLTD ट्रेकिंग डिवाइस (GPS) एवं आपातकालीन पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगायें।
- गंभीर शिकायत या शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय मान्यता

समाप्त की जा सकेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पृष्ठा0क्रमांक/17560/मान्यता-अनुमति/2026-27 अम्बिकापुर, दिनांक 07/10/2026
प्रतिलिपि,

1. विकास खंड शिक्षा अधिकारी— उदयपुर, जिला—सरगुजा को सूचनार्थ।
2. प्रबंधक/प्रधान पाठक, अदानी विद्या मंदिर साल्ही, विकासखंड—उदयपुर, जिला— सरगुजा छ0ग0 को सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)